JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य-अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में

डॉ. एस.पी. शुक्ला
प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी)
महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

हेमलता दाहिया
शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी)
महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश -

"राजनीति में शासक तथा शासित के मध्य संबंध शासन की वैधता तथा प्रासंगिकता को औचित्यता प्रदान करने हेतु एक आवश्यक पहलू है। जनता की शासन में सहभागिता तथा उचित प्रतिनिधित्व इनके हितो की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु अति आवश्यक सिद्धांत है राजनीतिक सहभागिता में प्रत्येक वर्ग की समान उपस्थिति न होना समाज के सभी वर्गो की समानता पर प्रश्न उठाता है। प्रत्येक वर्ग का राजनीतिक सहभाग किस प्रकार से होगा तथा यह किस स्तर तक जनता की सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक हितों की पूर्ति में सहायक होगा यह चिंतन का विषय है जिसकी व्याख्या करने हेतु राजनैतिक सहभागिता संबंधी सिद्धांत महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र की सार्थकता इसी में निहित है कि राजनीति में सभी वर्गो की सहभागिता समान रूप से हो और उस को बाधित करने वाले तत्वों की समाप्ति हेतु प्रयास किया जाए। लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति भी उसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता, प्रतिनिधित्व की क्षमता, राजनैतिक सहभागिता से आत्मनिर्भरता और स्वंय निर्णय लेने की बौद्धिक कुशलता का निर्माण होगौ। नेतृत्व विकास के परिणाम स्वरूप ये कुशल राजनीति कर सकती है। महिलाओं के प्रति व्याप्त समाज में असमान व्यवहार उनकी राजनीतिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करते है तथा राजनीतिक दल महिलाओं के प्रतिनिधित्व में क्या भूमिका निभाते है यह जानना भी प्रस्तुत शोधलेख का विषय है।

मुख्य शब्द- सहभागिता, प्रतिनिधित्व, अपवंचना, सशक्तिकरणए मूल्य.सापेक्षता।

प्रस्तावना-

इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा वीरता साहस का परिचय दिया, बिजली की कौध सी दमक दिखाती हुई भारत वर्ष के आकाश पटल पर अवतरित हुई। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का अमूल्य योगदान होने के बाद भी नारी अपवंचना का शिकार रही है। पिछले दो दशक में सामाजिक ढ़ाँचे में हुए बदलाव के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आये हैं। महिलाओं को अधिकार प्रदान किये गये, मगर आज भी सहभागिता और समावेशन के स्त र तक महिला अपने अधिकार से वंचित है।

किसी भी समाज की वास्तविक स्थिति जानने का एक तरीका यह भी है कि हम यह जाने कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उसके अधिकार क्या-क्या है? और उनकी शैक्षणिक दशा और दिशा कैसी है? जिन्होने सम्पूर्ण समाज की नींव सम्भाल

रखी है। उनकी मूलभूत संसाधनो तक कितनी पहुंच है और उनकी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी कितनी है? वास्तव में यह एक प्रकार का संकेतक है। ग्रामीण से लेकर शहरी स्तरो तक और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक सफल भी हुई है।[1]

महिला सशक्तिकरण कर्णपटल पर सुनाई देते ही एक बात जेहन में बिजली की तरह कौध जाती है कि आखिर यह महिला सशक्तिकरण हैं क्या? देखा जाए तो वास्तव में इसका अर्थ है महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। परन्तु व्यापकता में इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है, जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है, यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है, जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सामान्य अर्थों में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय संशाधनों तक महिलाओं की समान पहुँच से है, चाहे वे संशाधन राजनीतिक क्षेत्र से सम्बंधित हो, सामाजिक क्षेत्र से सम्बंधित हों अथवा आर्थिक क्षेत्र से सम्बंधित हों इस प्रकार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसंपन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं द्वारा खुले नये विकल्प तैयार हों और विकास के पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1976-1985 ई. के दशक को स्त्रियों हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित करने के बाद से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सार्वजनिक बहस व चिंतन में एक प्रमुख हैसियत प्राप्त कर चुका है। सितम्बर 2000 ई. में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में भी महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जिसे पूरी दुनियाँ के देशों ने स्वीकृति दी है। भारत में धर्म और सामाजिक विधि विधानों ने स्त्री को लंबे समय से दोयम दर्जे का माना है और धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाजों के परदे में उसके शोषण का खेल रचा है। महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकारों को व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है।

शोध उद्देश्य- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्तर को जानना आवश्यक हो जाता है विशेषकर आधुनिक समाज में हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को राजनैतिक स्तर पर सहभागिता के विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके बावजूद महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में कमी हैं, इनके अन्तनिर्हित कारणो का विश्लेषण कर उनके समाधान के लिए प्रयासों की प्रभाविता को समझना अपेक्षित है।"

पिछड़े हुए वर्गो में आज भी महिला/पुरूषों में सामाजिक पृष्टिभूमि पर मतभेद पाया जाता है आज भी महिलाएं भेदभाव का शिकार है। इनकी यह स्थिति इनके राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सामान्य बदलाव होते हैं, पंचायत संस्थाओं में आरक्षण के बाद महिलाओं में राजनीतिक रूझान में क्रमशः वृद्धि हुई है। सरपंच पति, सरपंच सहयोगी की भावनाएं भी धीरे-धीरे कम हो रही है। राजनीतिक गतिविधि निर्णयन की प्रक्रिया में महिला स्वर मुखर हुए हैं इनका प्रभाव महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नही कि अनुसूचित एवं जनजाति की महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं जो उनकी राजनीतिक भागीदारी और सक्रिय सहभागिता का महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र महिला अधिकारिता के साथ-साथ महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता विशेष रूप से दलित समाज की महिलाओं का विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत करता है। शोध पत्र में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता में वृद्धि के जिए किये गये प्रयासों के

मूल्यांकन का प्रयास किया गया हैं। इसमें महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता के किए गये संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रयासो को समझने का प्रयत्न किया गया हैं।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र में आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से तथ्यों के संकलन के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न किया गया है। इस शोध पत्र के लिए रीवा जिले की सेमरिया तहसील को चुना गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करने के लिए 100 महिलाओं का संमक सोदश्यपरक निर्देशन प्रविधि के माध्यम से चयन किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया गया हैं।

प्राक्कल्पना- प्रस्तुत अध्ययन के लिए कतिपय प्राक्क्ल्पनाएं अवधारित की गई हैं-

- सामाजिक अपवंचना और आर्थिक पिछड़ापन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता को विपरीत रूप से प्रभावित करती है।
- सामाजिक गतिशीलता शिक्षा एवं जागरूकता का राजनैतिक सहभागिता के स्तर से प्रत्यक्ष संबंध है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं में राजनीतिक प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया है।
- राजनैतिक वैचारिक अदान-प्रदान राजनीतिक सहभाग का एक स्त्रोत है संरक्षी प्रावधानो से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में भी वैचारिकी के स्तर पर सुझाव की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता हैं।
- अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में अपने राजनीतिक परिवेश के संबंध में जिस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है उसी के अनुरूप उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति और प्रक्रिया का विस्तार होता हैं।

महिला सशक्तिकरण का स्वरुप

महिलाओं की सकारात्मक सहभागिता: पुरुष प्रधान समाज में कार्य क्षेत्रों का आन्तरिक (स्त्रियों के लिए) बाह्य (पुरुषों के लिए) विभाजन हो। नए परिदृश्य में प्राप्त अवसरों को सकारात्मक रूप से ग्रहण कर वे खुद ही में निहित क्षमता का आकलन कर सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों मंे सहभागिता कर सामाजिक अभिजन, राजनीतिक अभिजन के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकती है।

1. समन्वयात्मक दृष्टिकोण-स्त्री पुरुष जीवनरूपी गाड़ी के दो पहिए है। आपसी समन्वय का दृष्टिकोण ही इनकी दिशा-दशा में उचित परिवर्तन कर सकता है। सामाजिक धरातल पर पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष मुखिया रहते है। वर्तमान संदर्भ में महिलाओं के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है।
2. सामाजिक मूल्यों का रूपान्तरण: भारतीय सामाजिक व्यवस्था परम्परा शासित है परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप परिवार तक सीमित नहीं हैं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र तक विस्तृत दिखाई देता है।
3. योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन: सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास भी तभी सफल होगे जबकि योजनाएं पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित की जाएं। महिला कल्याण के प्रयास महिलाओं के सहयोग के बिना अधूरे रहेंगे।

पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिविधित्व बढ़ा है यह किस हद तक बढ़ा है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है। वे अपनी इस सहभागिता को किस रूप में में देखती है? यह राजनीतिक सहभागिता नाममात्र की है या कार्यात्मक रूप से प्रकट है। राजनीतिक निर्णय में उनकी कितनी सहमति या असहमति है ये भी महत्वपूर्ण है।[2]

राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्य संघटक है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं मे यह अत्यधिक महवपूर्ण है क्योंकि इनमें नागरिकों से भागीदारी की आशा की जाती है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय इत्यादि के हित होते हैं। वे अपने हितो की प्राप्ति के लिए राज्य व शासन में भाग लेते है अतः वे शासन कार्य में अपने हितो की पूर्ति हेतु ही रुचि लेते है। राज्य व शासन में भाग लेने की इस प्रक्रिया को राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया

निरन्तर, यदा कदा अथवा एक बार ही होता है। प्रत्येक स्थिति की ऐसी क्रिया है जिसका सीधा प्रभाव राजनीतिक समाज की संक्रियात्मकता पर पड़ता है। व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया (राजनीति, शासनीय निर्गतों सम्बन्धी निर्णय लेने का प्रक्रिया हैं) व्यक्ति को राजनीति में सहभागी बना देती है, यही व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता है।

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जन-सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होती है। जनसत्ता को व्यवहारिक बनाने का एक मात्र माध्यम, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियो का निर्वाचन होता है। लोग वोट देकर एक निश्चित अवधि के लिए अपनी राजनीतिक सम्प्रभुता अपने द्वारा विधिवत् निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देते है। यह वोट देना एक राजनीतिक क्रिया है क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी शक्ति प्रभावित होती है अतः मतदान राजनीतिक सहभागिता का एक रूप है। स्पष्ट होता है कि राजनीतिक क्रियायें करने का कारण कुछ भी रहा होगा उनका परिणाम घनिष्ठ रूप से जुड़ी विशेष प्रकार की राजनीतिक गतिविधि होती है। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता राजव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण निर्गत कार्य है जो सर्वाधिकार वादी व्यवसायों की अपेक्षा लोकतांत्रिक राजव्यवस्थाओं में केन्द्रीय महत्व का है। आमड और पावेल ने लिखा है कि ''समाज के सदस्यों का (अपनी) व्यवस्था के निर्णय निर्धारण की प्रक्रियाओं में संलग्न होना ही राजनीतिक सहभागिता हैं।[3]

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता -

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का एक जटिल और विविध इतिहास है, जिसमें हाल के दशको में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नारीवादी की पहली लहर के साथ 19 वी शताब्दी के अंत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यह आंदोलन महिलाओं के लिए कानूनी और राजनीतिक समानता हासिल करने पर केन्द्रीत था, जिसमे मतदान का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करना शामिल था। महिलाओं को वोट देने का अधिकर देने वाला पहला देश 1893 में न्यूजीलैंड था, उसके बाद 1902 में ऑस्ट्रेलिया था। 1960 और 1970 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर प्रजनन अधिकार, कार्यस्थल भेदभाव और घरेलू हिंसा सहित मुद्दो की एक विस्तृत श्रृंखला पर केन्द्रीत थी। इस आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों का निर्माण किया, जैसे कि 1979 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CEDAW) का आंदोलन। 21 वीं सदी में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और मानवाधिकारो में लगातर प्रगति हो रही है। कई देशों ने राजनीतिक पदो पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोटा या अन्य सकारात्मक कार्यवाई नीतियों को अपनाया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसमें लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलायो और लडकियो को सशक्त बनाने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य शामिल है।[4]

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण आज भी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ हैं। निर्वाचित संस्थानों में महिलाओं का पुरुषों के बराबर अनुपात में प्रतिनिधित्व हासिल करना, संसद, राष्ट्रीय विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों की विश्वसनीयता और वैधता स्थापित करने के लिए आवश्यक है। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, लेकिन महिला सांसदों की सदन में उपस्थित अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो लोकसभा में मात्र 14.36 और राज्यसभा में 10% हैं। वैसे तो ये आंकड़ें बेहद कम हैं लेकिन इससे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति का एक नया आयाम उभर कर सामने आया है, जिससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अब राजनीति में प्रवेश कर रही हैं[5]।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए 1992 मील का पत्थर साबित हुआ जब 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके मुताबिक देश में ग्राम पंचायत चुनाव में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे स्थानीय या नागरिक निकायों में भी महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लागू कर दिया गया। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने से न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक, आर्थिक रूप से भी महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित

किया जा सकता है। और लोकतंत्र के मूल्यों को सही मायने में स्थापित किया जा सकता है क्योंकि महिलाएं किसी भी समाज में लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता-

भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, के लिए लम्बा संघर्ष से होकर गुजरना पड़ा है एक लम्बे अरसे से महिलाएं, भेदभाव उत्पीड़न और बहिष्कार को सहते हुए अपनी पहचान एवं अधिकार को प्राप्त कर सकी है। भारत में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाएं अक्सर अपनी जाति, लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के कई रूपों के अधीन होती है, जो उनके लिए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करना मुश्किल बना सकती हैं। इस चुनौतियों के बावजूद हाल के वर्षो में कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं। भारतीय संविधान में इन समुदायों की महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए स्थानीय सरकारी निकायों और विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता हैं। इससे जमीनी स्तर पर राजनीतिक जीवन में भाग लेने, वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।[6]

हालांकि, उच्च स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। वे राजनीतिक दलों और सरकारी संस्थानों के भीतर भेदभाव और हशियाकरण का सामना करना जारी रखते हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के पास अक्सर संसाधनों, शिक्षा, और सामाजिक पूँजी की कमी होती है। अंतर्निहित संरचनात्मक और प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने की भी आवश्यकता है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों को प्रभावित करती है। इसमे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक पहुँच के साथ-साथ जाति - आधारित भेदभाव और हिंसा से निपटने जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। कुल मिलाकर जबकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक विकास हुए है, भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारको की एक सीमा तक सीमित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी नागरिकों के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार नागरिक समाज और अन्य हितधारकों द्वारा निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक-

सामाजिक कारक- सामजिक पर्यावरण में अनेक कारक ऐसे होते हैं। जिससे राजनैतिक भागिदारी की प्रकृति व सीमा दोनों का होना आवश्यक है जिससे समाज में स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इनमें मुख्य तत्व, शिक्षा, व्यवसाय, नगरीय एवं ग्रामीण, आयु गतिशीलता लिंग, धर्म जाति और समूह इत्यादि । भारत में राजनैतिक भागिदारी में उपरोक्त कारकों का प्रभाव पाया जाता है। मनुष्य जिज्ञासु व निरन्तर प्रयास करने वाला होता है। वह समाज में अपनी भागीदारी निभाता है और समाज में अपना प्रभाव छोड़ता है। राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता के माध्यम से व्यक्ति अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति वह पर्यावरण को जानते, उससे अन्तक्रिया करने और उसको प्रभावित करने के लिए प्रेरित करती है। जिससे वह समाज में भागीदारी निभाता है। राजनीतिक सहभागिता, राजनीति समाजीकरण का परिणाम है सामाजिक कारकों की राजनीतिक सहभागिता में भूमिका पाई जाती हैं।[7]

शिक्षा - शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सामाजिक राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करती है। आज वर्तमान में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं के शिक्षा की और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है।

व्यवसाय - व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए व्यवसाय करना पड़ता है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक स्तर को पाया जाता है। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते है जिनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के जीवन को राजनीतिक निर्णय लेने में अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय करने में लगे व्यक्तियों को परस्पर आपसी मेल-मिलाप बढ़ाने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि उनको अत्याधिक समस्यायों का सामना करना पड़ता है। इससे ये लोग राजनीति में सक्रिय होते है व्यापारी वर्ग अत्यधिक प्रत्येक देश में सर्वाधिक भागीदारी होती है। क्योंकि व्यापार में नागरिको की भागीदारी भी अधिक होती है और व्यापार से नागरिकों की व्यवस्था हो जाती है व्यापार करने वाले नागरिकों की अपेक्षा नौकरीपेशा नगरिकों की राजनीति में सक्रिया न के बराबर होती है।

आय- आय राजनैतिक सहभागिता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है क्योंकि कम आय वाले व्यक्तियों को अवसर कम मिलते है जबकि ज्यादा आय वाले व्यक्तियों को अधिक अवसर मिलते है। अधिक आय और आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति राजनीति में अधिक रुचि रखते है। जबकी निर्धन, मध्यवर्गी, निम्नवर्गीय समुदाय के लोग राजनीति में अपना सहभाग करते है परन्तु आर्थिक रूप से सम्पन्ता व्यक्ति ही राजनेता और बड़ा प्रतिनिधित्व करते है। व्यक्तिगत स्तर पर आय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जबकी राष्ट्रीय स्तर पर भी यह तत्व प्रभावित करता है यह आवश्यक नहीं है। जबकी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। कि अगर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राजनैतिक भगीदारी भी बढ़ जाती है। नगरीय एवं ग्रामीण नगरवासी ग्राम की अपेक्षा अत्याधिक राजनैतिक सहभागिता होती है। नगरीय लोगों की अपेक्षा कृषकों अथवा ग्रामवासियों में राजनीतिक सहभागिता में सक्रियता की संभावना कम ही होती है।

आयु- राजनैतिक सहभागिता में आयु व्यक्ति को अत्याधिक प्रभावित करती है। क्योंकि बच्चों तथा वृद्धों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही ये राजनीति में सक्रिय होते हैं। युवा और वृद्धो की तुलना में 35 से 50 वर्ष तक के नर-नारी अधिक राजनीतिक सहभागिता निभाते हैं।

निवास - व्यक्ति का निवास स्थान राजनीतिक सहभागिता को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। व्यक्ति जिस स्थान पर अत्याधिक निवास करता है उसकी राजनीति सहभागिता अत्याधिक होती है। स्थायी निवास व्यक्ति अपने स्थानीय नागरिकों से भलि भांति परिचित होता है और उसका स्थानीय समाज में उसकी अलग पहचान होती है। जिससे उसे राजनीतिक भागीदारी का अधिक अवसर प्राप्त होती है। और उसका स्थानीय नागरिक का भी समर्थन करती है अतः अन्य क्षेत्र से चुनाव लड़ना भी कठिन कार्य है जो नौकरी पेशा व्यक्ति का स्थानान्तरण होता रहता है जिससे वह राजनीति सहभागिता में कम रहता है।

धर्म - धर्म भी राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने के कारको में विशिष्ट स्थान होता है। और भारतीय राजनीति में धर्म का विशेष स्थान होता है क्योंकि धर्म व मनुष्य का अन्तिम से सम्बन्धित होता है और उचित या अनुचित कार्य करने या ना करने में व्यक्ति के अन्तमन की अहम भूमिका होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतः अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ को अनुचित मानता है और अपने धर्म में रोकटोक बर्दाश्त नहीं करता। इसी कारण राजनीतिक नेता इन लोगों का फायदा उठाता है। और राजनीति करण में इनका प्रयोग करते है।

जाति - भारत की समाज व्यवस्था में जाति एक ऐसा परिवर्त्य है जो न केवल परम्परागत रूप से समाज के संगठन का आधार है जबकि सामाजिक गतिविधियों का एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक स्तर है। जाति ही राजनीतिक अवस्था में अत्यधिक हलचल मचाती है जाति के आधार पर ऐसा समीकरण बैठाते है कि इस जाति के व्यक्तियों द्वारा वोटिंग होने पर जीत सुनिश्चित है। इसमें उन्हें यह सन्तुष्टि होती है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि संसद में होती है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि संसद में हमारी भलाई के लिये आवाज उठायेगा। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है सुश्री मायावती का राजनीति में प्रवेग दलित वर्ग के होने पर वोट की ऐसी अवस्था बाटी जिससे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर चार बार सुशोभित हुई। अर्थात् जाति के आधार ही प्रत्यासी को खडा किया जाता है। अपना मनपंसद व्यक्ति हो और आपकी जाति का हो तो पूरा परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अतः राजनीति में आरक्षण के तहत जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है।

समूह - समूह के आधार पर उसका सारा जीवन व्यतीत होता है। और उसकी भागीदारी में जितना अत्यधिक सक्रिय या निष्क्रिय होता है। व्यक्ति भी उतना ही सक्रिय या निष्क्रिय होता है अतः जब व्यक्ति की जितनी पकड़ अधिक समाज में होती है वह उतना बड़ा राजनेता बन जाता है।

राजनीतिक कारक- राजनीतिक कारक के कारण भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते है यदि व्यक्ति की राजनीतिक भागेदारी को सुनिश्चित करने में राजनीतिक करने में राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचार माध्यम से राजनीतिक सहभागिता बढ़ाई जा सकती है अर्थात् राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता एवं माध्यमों की उपलब्धता, राजनीतिक, जागरुकता तथा राजनीतिक प्रेरित भावना इत्यादि कारक भी सहभागिता को प्रभावित करते हैं। राजनीति के कारण ही शिक्षा का महत्व अधिक पाया जाता है। राजनीतिक सहभागिता महिलाओं द्वारा होने के कारण प्रशासन पर अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। जिस कारण आज की शिक्षित-अशिक्षित महिलायें राजनीति में सक्रिय सहभागिता निभा रही है कभी-कभी इसका उलट भी हो जाता है। जब नागरिक यह समझता है कि शासन और सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सहभागिता के बिना भी सरकार सुचारू ढंग से कार्य कर रही है और अच्छे परिणाम दे सकती है।

आर्थिक कारक- राजनीतिक सहभागिता को आर्थिक व्यवस्था देने का भी प्रयास किया है। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते है यद्धपि यह एक कारक हो सकता है, परन्तु अधिकांश विद्धान इसे स्वीकार नहीं करते है तथा तर्क प्रस्तुत करते है कि राजनीतिक सहभागिता पहले से ही धनवान लोगों में अधिक पायी जाती है।

स्थानीय स्वशासन की मूक क्रांति

सदियों से पुरूष वर्चस्ववादी समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की अपवंचित की रही है और सामाजिक जीवन में उनका सहभाग प्रजनन और गृह कार्य तक सीमित रहा उनकी सामाजिक गतिशीलता सीमित होने के कारण उनके अवदान का सम्यक मूल्यांकन नही हो पाया। दलित समाज तो पूर्व से ही अपवंचित था जिसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक रहा। सामाजिक जीवन में गतिशीलता की कमी के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं में जागरूकता अपेक्षाकृत न्यून रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनके राजनैतिक सहभागिता के स्तर को प्रभावित करती हैं स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है किन्तु राजनीतिक सहभागिता एवं राजनीतिक जागरूकता के स्तर में कोई अपेक्षित परिवर्तन नही देखने को मिला। राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर के निर्वाचनो में उनकी सहभागिता न के बराबर है। राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्तावित प्रावधान उनकी राजनैतिक सहभागिता में वृद्धि की दिशा में सार्थक प्रयास है।

आंकड़ो का संग्रहण और विश्लेषणः-

प्रस्तुत शोध पत्र में राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित जागरूकता, संवैधानिक प्रावधान, मतदान जागरूकता निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव प्रचार-प्रसार, राजनीतिक गतिविधियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिती, आरक्षण नीति, आदि की विषयानुसार सभी पहलुओं तथा वस्तुस्थिति में संबंधित सभी आंकड़ो का संग्रहण-संकलन चयनित महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से किया गया हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता की स्थिति के प्रभाव के आंकलन हेतु चयनित महिलाओं से एकत्रित की गई जानकारियों विश्लेषणों शोध के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के मापदण्डो के अनुसार परिणामों तक पहुँचा गया और प्राप्त परिणामों को सामान्यतः प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता का विश्लेषण- अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता का स्तर पता करने के लिए चयनित उत्तरदाताओं से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्राप्त आंकड़ो का प्रदर्शन एवं विश्लेषण निम्न प्रकार है-

1. उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयत्न किया गया कि महिला होना सक्रिय राजनीतिक सहभाग को किस प्रकार प्रभावित करता हैं। अध्ययन 100 महिलाओं के चयनित समंक पर आधारित -

क्र.	सहभागिता का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1-	पूर्णतः सहमत	55	55
2-	पूर्णतः असहमत	35	35
3-	कोई उत्तर नहीं	10	10
	कुल	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत महिलाएँ है जिनका मानना है कि उनका महिला होना राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। 35 प्रतिशत महिलाओं का मानना है। महिला राजनीतिक सहभागिता में कोई बाधक नही हैं। वही 10 प्रतिशत ने कोई प्रतिक्रिया नही दी हैं महिला उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सिद्ध होती है की महिला होना उनके सक्रिय राजनीति में सहभाग को प्रभावित करती है।

1. महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं पर उत्तरदाताओं का प्रतिक्रिया निम्नानुसार रही

क्र.	लिंग के आधार पर भेदभाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	सहमत	60	60 प्रतिशत
2	असहमत	40	40 प्रतिशत
3	कोई उत्तर नहीं	-	-
	कुल योग	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 60 प्रतिशत महिलाओं ने माना की राजनीतिक सहभागिता में लिंग के आधार पर भेदभाव राजनीतिक सहभाग में समस्या है 40 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि लिंग के आधार पर भेद भाव का कोई प्रभाव नही पड़ता हैं। स्पष्ट है कि अभी भी राजनैतिक क्षेत्र में पुरूष वर्चस्व प्रधान है किन्तु महिलाओं की जागरूकता मंे अनवरत वृद्धि को नकारा नही जा सकता।

क्र.	परिवार का समर्थन न होना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	सहमत	40	40 प्रतिशत
02	असहमत	50	50 प्रतिशत
03	कोई उत्तर नही	10	10 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के न्यून समर्थन को राजनीतिक सहभाग से समस्या माना है जबकी 50 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के समर्थन सक्रिय राजनीति में सहभाग को स्वीकार किया है वही 10 प्रतिशत ने कोई प्रतिक्रिया नही दी हैं।

क्र.	घरेलू जिम्मेदारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	सहमत	50	50 प्रतिशत
02	असहमत	36	36 प्रतिशत
03	कोई उत्तर नही	14	14 प्रतिशत
	कुल योग	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत महिलओं का मानना है कि घरेलू जिम्मेदारी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए समस्या है वहीं 36 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी असहमती प्रकट की है 14 प्रतिशत महिलाएँ निष्क्रिय है।

क्र.	अशिक्षा	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	सहमत	70	70 प्रतिशत
02	असहमत	30	30 प्रतिशत
03	कोई उत्तर नही	-	-
	कुल	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत महिलाओं ने अशिक्षा को महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बाधक पाया है जबकि 30 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी असहमति प्रकट की हैं।

क्र.	आर्थिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	सहमत	60	60 प्रतिशत
02	असहमत	40	40 प्रतिशत
03	कोई जवाब नहीं	-	-
	कुल योग	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 60 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक स्थिती को राजनीतिक सहभाग में समस्या माना है वहीं 40 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी असहमति प्रकट की है। प्रस्तुत सारणी क्रमांक 02 की सभी सारणीयों के विश्लेषण से परिकल्पना पूर्ण रूप से सिद्ध होती है की सामाजिक अपवंचना और आर्थिक पिछडापन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

पंचायत संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण से अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का सहभागिता का रास्ता आसान हुआ हैं।

क्र.	महिला आरक्षण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	सहमत	45	45 प्रतिशत
02	असहमत	35	35 प्रतिशत
03	कोई उत्तर नही	20	20 प्रतिशत
	कुल योग	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 45 प्रतिशत महिलाओं ने माना है की आरक्षण की वजह से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है वही 35 प्रतिशत महिलाओं ने माना की आरक्षण का राजनीतिक सहभागिता पर प्रभाव नहीं पड़ा है। 20 प्रतिशत महिलाओं में निष्क्रियता पाई गई है। प्रस्तुत सारणी विश्लेषण से परिकल्पना सिद्ध हुई है की प्रान्तीय या स्थानीय स्तर पर आरक्षण के प्रभाव से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई हैं।

क्या राजनीतिक सहभागिता के कारण अनु. जाति एवं जनजाति महिलाओं में अधिकारो के प्रति चेतना आयी हैं।

क्र.	राजनीतिक चेतना	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	चेतना आयी है	55	55 प्रतिशत
02	चेतना नही आयी हैं	45	45 प्रतिशत
03	कोई जानकारी नहीं	-	-
	कुल योग	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 55 प्रतिशत महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता के बाद अधिकारों के प्रति चेतना आई हैं वही 45 प्रतिशत महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता के बाद राजनीतिक अधिकारो की चेतना प्रति नकारात्मता दिखाई हैं। जिससे परिकल्पना सिद्ध हुई है कि राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिक्रिया से महिलाओं के अधिकारो के प्रति चेतना आयी हैं।

राजनैतिक सहभागिता के स्तर पर पंचायत निर्वाचन में महिलाओं की सहभागिता के प्रश्न पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया निम्नानुसार -

क्र.	निर्वाचन प्रचार-प्रसार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	40	40 प्रतिशत
02	नहीं	35	35 प्रतिशत
03	कभी नहीं	25	25 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात है कि 40 प्रतिशत महिलाएँ सक्रिय राजनीतिक में प्रचार-प्रसार में भाग लेती है 35 प्रतिशत महिलाएँ भाग नही लेती है वहीं 25 प्रतिशत महिलाएँ कभी भी प्रचार प्रसार में भाग नही लेती हैं इस विश्लेषण से परिकल्पना सिद्ध हुई हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता ने महिलाओं से रातनीतिक सहभागिता के लिए प्रयास तेज हुआ साथ ही वैचारिक अदान-प्रदान राजनीतिक सहभाग का स्त्रोत हैं।

चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी के स्तर वर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया निम्नानुसार रही-

क्र.	चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
01	जानकारी होती है	70	70 प्रतिशत
02	जानकारी नही होती हैं	25	25 प्रतिशत
03	कोई जबाव नहीं	5	5 प्रतिशत
	कुल योग	100	100 प्रतिशत

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है की 70 प्रतिशत महिलाएं है जिन्हें चुनाव से सम्बंधित जानकारियां मिल जाती है वही 25 प्रतिशत ऐसी है जिन्हें जानकाारी नही मिल पाती है। और 5 प्रतिशत महिलाएं ऐसी भी है जिनमें जानकारी शून्य है जिससे परिकल्पना सिद्ध होती है कि राजनीतिक परिवेश के संबंध में जिस तरह की सूचना प्राप्त होती है उसी के अनुरूप महिलाओं की राजनीतिक अभिवृत्ति और प्रक्रिया का विस्तार होता हैं।

सुझाव - अनुसूचित जाति एवं जनजाति में राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने हेतु सुझाव

- अनु.जाति एवं जनजाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षित होना होगा। क्योकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों एवं गलत परम्पराओं को दूर किया जा सकता है।
- महिलाओं में राजनीतिक सहभागित के लिए महिला संगठनों का निर्माण हो और जिसमें इनका दायित्व महिलाओं को साक्षर बनाना है।

- चुनाव आयोग की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये पार्टी में 50 प्रतिशत महिला को आरक्षण दिया जाए।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान कर उनको सशक्त बनाया जाएं ताकि वो अपना विकास कर अपने अधिकारों को जान सकें और राजनीतिक स्तर पर सदभाग कर सके।
- राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, शासन द्वारा महिला आरक्षण को बढ़वा देना चाहिए ।

निष्कर्ष- भारत में अनुसूचित जाति एंव जनजाति की महिलाओ की राजनीतिक जागरुकता और भागीदारी बहुत शोध और विमर्श का विषय रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय वंचित और शोषित ऐतिहासिक रूप से उत्पीडित और हाशिए पर रही है, जिन्हें विशिष्ट अनुसूची में दर्ज किया गया है। समान अधिकारों और सुरक्षा की संवैधानिक आरक्षण के बाद भी इन समुदायों के महिलाओं को राजनीतिक सहभागिता के लिए राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्त के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग अपनी जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव व असमानता का सामना करना पड़ता हैं।

हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं कुछ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओ को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पदो पर चुना गया है। अभी वर्तमान में लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लोकसभा में पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल को दोनों सदनो से पारित किए जाने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। लोक सभा में फिलहाल 82 महिला सांसद है। बता दें कि निचले सदन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटे आरक्षित हो जाएगी।[9] जो की महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता के लिए बड़ा कदम होगा। 2019 के आम चुनावों में 27 अनुसुचित जाति की महिलाए भारतीय संसद के लिए चुनी गई जो कुल सीटो के लगभग 5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

हालांकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं इन समुदायो की महिलाओ की राजनीतिक भागीदारी शिक्षा के निम्न स्तार और राजनीतिक जागरूकता गरीबी, और संसाधनो और अवसरो तक पहुँच की कमी सहित कई कारको द्वारा सीमित है। कई लोग उत्पीडन और हिंसा का भी शिकार होते है जब वे अपने राजनीतिक अधिकारों का दावा करने का प्रयास करते हैं[10]।

स्थानीय सरकारी निकायो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण जैसी सकारात्मक नीतियों सहित इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ प्रयास किए गए है। हालांकि, ऐसी नीतियो का कार्यान्वयन असंगत रहा है, और अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए अधिक व्यापक उपायों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कुछ सकारात्मक विकास हुए है, भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओ को अभी भी राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करन पड़ रहा है. इन मुद्दो को हल करने के लिए और अधिक ठोस प्रयासो की आवश्यकता है।[11]

भारतीय राजनीति में आनुपातिक रूप से महिलाओं की सहभागिता कम है। संविधान संशोधन से मिले आरक्षण के बाद पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ी है लेकिन इसमें सुधार के लिए प्रयासों की दरकार है।क्योंकि पंचायती स्तर पर महिला उम्मीदवारों के होने के बाद से ही प्रधान पति, पुत्र का पद पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीति में बना दिया गया है। बीते साल सिंतबंर में महिला आरक्षण कानून बना। इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन इस कानून को जमीन पर आने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल को मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने एक चुनावी स्टंट बना दिया है और इससे साफ पता चलता है कि सरकारों में वास्तव में नीयत की कितनी कमी हैं। महिलाओं की राजीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज को पितृसत्तात्मक दुर्भावना से निकलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिक्षित करके जागरूक

करने की जरूरत है। ताकि महिलाएं बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं के राजनीति में प्रवेश से उनकी सामाजिक स्थिति बदलेंगी और एक समावेशी समाज का निर्माण होगा।

संदर्भ सूची -

1. भारत सरकार (1974) समानता की ओर, भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिर्पोट, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. आहुजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकारान जयपुर, नई दिल्ली।
3. अम्बेडकर डॉ. भीमराव "अस्पृश्य कौन और क्यो" हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल ।
4. अम्बेडकर डॉ. भीमराव: "सामाजिक-आर्थिक विचार दर्शन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।
5. https://hindi.feminisminindia.com/2024/03/06/women-representation-in-indian-politics-hindi/
6. हसनैन नदीम, जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. पृ. 347, 434
7. तिवारी, डॉ. शिवकुमार, शर्मा, डा. श्रीकमल, मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
8. राखी भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व: सैद्धांतिक परिचय से क्रियान्वयन तक
9. सिंह, डॉ. अनामिका, लाल डॉ. आशीष, अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं मानवधिकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन ।
10. अनिरूद्ध प्रसाद - सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक सन्तुलन, रावत पब्लिकेसन्स, जयपुर, नई दिल्ली, पृ. 47-48
11. राजपूत वंदना, जनजाति महिलाओ की पंचायत में भागीदारी एक अध्ययन।